परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाएँ

सेवाओं का विवरण – कुल 25 सेवाएँ

<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="14">वाहन संबंधी</td><td>1</td><td>पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति</td><td rowspan="9">वाहन की ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं का पालन करें ।
1. यदि मोबाइल नंबर अपडेट न हो तो-
i. parivahan.gov.in→OnlineServices→Vehicle related Services विकल्प पर जाएँ ।
ii. फिर ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर 'Mobile Update' विकल्प पर क्लिक करें ।
iii. इसके पश्चात वाहन का चेसिस नंबर व इंजन नंबर अंकित कर मोबाइल नंबर दर्ज करें ।
iv. आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा जिसे दर्ज करते ही आपका मोबाइल वाहन 4 से लिंक हो जायेगा।
2. इसके उपरांत वाहन संख्या दर्ज कर आगे बढे
3. आवश्यकतानुसार ऑनलाइन सेवा का चयन करें
4. तदोपरांत चेसिस नंबर का अंतिम पांच अंक दर्ज करें तथा वेरीफाई करें।
5. आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP को दर्ज कर आगे बढ़ें।
6. निर्धारित फॉर्म भरकर ऑनलाइन फीस जमा करें
7. फॉर्म और फीस की रसीद का प्रिंट प्राप्त कर लें
8. सम्बंधित कार्यालय में उक्त फॉर्म व फीस आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>स्वामित्व हस्तांतरण</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पता परिवर्तन</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पंजीयन का नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अनापत्ति प्रमाण पत्र</td></tr>
<tr><td>6</td><td>हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन</td></tr>
<tr><td>7</td><td>हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण</td></tr>
<tr><td>8</td><td>हाइपोथिकेशन जारी रखना</td></tr>
<tr><td>9</td><td>पंजीयन प्रमाण पत्र पर्टिकुलर</td></tr>
<tr><td>10</td><td>नया परमिट</td><td rowspan="5">वाहन की ऑनलाइन परमिट सेवा प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं का पालन करें ।
1. parivahan.gov.in →Online Services→Vehicle related Services विकल्प पर जाएँ ।
2. पुनः ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर 'ऑनलाइन परमिट' विकल्प का चयन करें ।
3. 'उत्तर प्रदेश' राज्य का चयन करें
4. अब वाहन संख्या तथा चेसिस नंबर का अंतिम पांच अंक दर्ज कर आगे बढ़ें
5. निर्धारित फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें
6. फॉर्म और फीस की रसीद का प्रिंट प्राप्त कर सम्बंधित कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें
7. कार्यालय द्वारा अप्रूवल के उपरांत प्राप्त यूजर आई डी व पासवर्ड के माध्यम से निम्न विकल्प पर जा कर परमिट फीस जमा करें-
• parivahan.gov.in→Vahan Login→Online Payment विकल्प पर जाएँ</td></tr>
<tr><td>11</td><td>परमिट की द्वितीय प्रति</td></tr>
<tr><td>12</td><td>परमिट नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>13</td><td>अस्थायी परमिट</td></tr>
<tr><td>14</td><td>विशेष परमिट</td></tr>
</table>

			• शुल्क जमा की रसीद का प्रिंट प्राप्त करें 8. कार्यालय में परमिट अनुभाग में रसीद प्रस्तुत कर परमिट प्राप्त करें ।
	15	नेशनल परमिट / आल इण्डिया परमिट के आथराइजेशन का नवीनीकरण	वाहन की **ऑनलाइन परमिट आथोराइजेशन** सेवा प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं का पालन करें । 1. parivahan.gov.in →Online Services→Vehicle related Services विकल्प पर जाएँ । उपरोक्तानुसार मोबाइल नम्बर अपडेट करें । 2. पुनः ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर 'ऑनलाइन परमिट' विकल्प का चयन करें । 9. 'उत्तर प्रदेश' राज्य का चयन करें 10. वाहन संख्या तथा चेसिस नंबर का अंतिम पांच अंक दर्ज कर आगे बढ़ें 11. निर्धारित फॉर्म भरकर ऑनलाइन फीस जमा करें 12. फॉर्म और फीस की रसीद का प्रिंट प्राप्त कर सम्बंधित कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें 13. कार्यालय द्वारा सत्यापन के उपरांत नेशनल परमिट के आथराइजेशन का शुल्क जमा करने हेतु निम्न विकल्प का चयन करें । ✓ parivahan.gov.in →Online Services→National Permit → Online Payment of National Permit ✓ वाहन संख्या तथा चेसिस नंबर का अंतिम पांच अंक दर्ज कर आगे बढ़ें तथा ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर रसीद का प्रिंट प्राप्त करें । 14. तदोपरांत कार्यालय जाकर परमिट शाखा से आथराइजेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करें ।
ड्राइविंग लाइसेन्स संबंधी	**1**	नया शिक्षार्थी लाइसेंस	**सारथी** की **ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धी ऑनलाइन** सेवा प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं का पालन करें । 1. parivahan.gov.in →Online Services→Driving License Related Services पर जाकर आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन करें। 2. तदोपरांत चरणबद्ध ढंग से आवेदन प्रक्रिया का पालन करें। उदाहरण के तौर पर शिक्षार्थी लाइसेंस के आवेदन हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करें i. Apply online → New Learner License ii. आवेदन फॉर्म को भरें। iii. आवश्यक दस्तावेज(आयु व पते का प्रमाणपत्र) को अपलोड करें ।
	2	नया ड्राइविंग लाइसेंस	
	3	ड्राइविंग लाइसेंस की द्वितीय प्रति	
	4	ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण	
	5	पता परिवर्तन	
	6	अन्य वाहन वर्ग का पृष्ठांकन	
	7	ड्राइविंग लाइसेन्स प्रतिस्थापन	
	8	अन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट	
	9	परिचालक लाइसेंस	

	10	परिचालक लाइसेंस की द्वितीय प्रति	iv. फोटो व सिग्नेचर को अपलोड करें। v. ऑनलाइन फीस जमा करें। vi. टेस्ट स्लॉट(तिथि व समय) का चयन करें। vii. भरा गया आवेदन फॉर्म, फीस रसीद तथा टेस्ट स्लॉट बुकिंग रसीद का प्रिंट प्राप्त करें viii. निर्धारित तिथि पर सम्बंधित कार्यालय में जाकर फॉर्म स्क्रूटिनी काउंटर में उपस्थित होकर फॉर्म की जाँच करायें। ix. स्क्रूटिनी के बाद बायोमेट्रिक काउंटर पर जाकर बायोमेट्रिक करायें तदोपरांत परिक्षण में शामिल हों। x. परिक्षण में पास होने पर लाइसेंस का अनुमोदन कार्यालय द्वारा करने के उपरांत आवेदक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या व जन्म तिथि अंकित कर अपना शिक्षार्थी लाइसेंस प्रिंट कर सकते हैं। 3. इसी प्रकार लाइसेंस सम्बन्धी अन्य सेवाओं में उक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर आवेदन कर सेवा प्राप्त कर सकते हैं।